निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।

आदेश

सं0 सं०–4/फार्मा–14–01/2019 437(4) पटना, दिनांक– 8/3/19

निदेशक इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के द्वारा उनके संस्थान में दवा वितरण कार्य हेतु एक फार्मासिस्ट की प्रतिनियुक्ति किये जाने संबंधी अनुरोध तथा श्री धनेन्द्र कुमार, फार्मासिस्ट, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन के आलोक में श्री धनेन्द्र कुमार की प्रतिनियुक्ति इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में प्रतिनियुक्ति 31.07.2019 तक के लिए की जाती है।

2. प्रतिनियुक्त कर्मी को पत्र निर्गत के 48 घंटे के अंदर विरमित कर दिया जाय, अन्यथा स्वतः विरमित समझे जाएगे।

3. प्रतिनियुक्त कर्मी के वेतनादि का भुगतान उनके प्रतिनियुक्ति स्थल से उपलब्ध कराये गये अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मूल पदस्थापित संस्थान से की जायेगी।

4. उक्त आदेश में प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग की सहमति प्राप्त है।

8/3/19
(डॉ0 आर0 डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें,बिहार पटना।

सं0सं0–4/फार्मा–14–01/2019 437(4) **/स्वा0, पटना, दिनांक**–8/3/19

प्रतिलिपि–निदेशक इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–श्री धनेन्द्र कुमार, फार्मासिस्ट, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण) के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–04 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मनेजर, स्वास्थ्य विभाग को निदेशित है कि इस आदेश को विभागीय साईड पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

8/3/19
निदेशक प्रमुख(रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवायें,बिहार पटना।